न्यायालय सेशन न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **संदीप कुमार शर्मा,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आप. अपील संख्या : **128/2024**

संदीप साहू पुत्र हनुमान साहू उम्र 32 वर्ष,
निवासी वार्ड नम्बर-6, पोस्ट ऑफिस के पास,
तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

-अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा इन्द्रगढ़,
जरिये शाखा प्रबन्धक

-रेस्पोन्डेन्ट/परिवादी

विद्वान न्यायिक मजिस्टेट्र, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी श्री हनुमान सहाय मीना द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 312/2017 बउनवान भारतीय स्टेट बैंक बनाम संदीप साहू में दिनांक 01.07.2024 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्व अपील

उपस्थित:-

1. श्री विनय कुमार सक्सेना एवं श्री त्रिलोक सरोया, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से,
2. श्री रवि कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट/परिवादी की ओर से।

नि र्ण य **दिनांक 23.04.2026**

1. अपीलार्थी/अभियुक्त संदीप साहू की ओर से हस्तगत अपील विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 312/2017 भारतीय स्टेट बैंक बनाम संदीप साहू में पारित किये गये दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 01.07.2024 के

Authenticated Document

विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी/अभियुक्त को परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध कर 01 वर्ष के साधारण कारावास तथा 2,80,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अदम अदायगी अर्थदण्ड तीन माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतने का आदेश दिया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोन्डेन्ट/परिवादी द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक परिवाद इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने रेस्पोन्डेन्ट/परिवादी बैंक से पीएमएमवाई योजना के तहत 2,00,000/-रूपये का ऋण लिया था। उक्त ऋण की किश्तें अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा काफी समय तक जमा नहीं करवाई। रेस्पोन्डेन्ट/परिवादी द्वारा काफी तकाजा करने के बाद अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा जारी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा इन्द्रगढ़ का बचत खाता संख्या 61299759711 का एक चैक संख्या 785940 दिनांक 18.09.2017 को राशि 1,97,222/-रूपये का रेस्पोन्डेन्ट/परिवादी द्वारा दिनांक 18.09.2017 को अपीलार्थी/अभियुक्त के बचत खाते में लगाया तो उसके खाते में अपर्याप्त राशि का नोट लगाकर असल चैक अनादरित हो गया। अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा यह जानते हुये कि उसके खाते में पर्याप्त राशि भुगतान हेतु नहीं है, बदनीयतिपूर्वक भुगतान से वंचित करने हेतु चैक दिया, जिसके द्वारा अभियुक्त ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराध किया है। अन्त में रेस्पोन्डेन्ट/परिवादी ने अपीलार्थी/अभियुक्त को दो वर्ष की सजा व चैक में वर्णित राशि से दुगुनी राशि से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

3. इस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त

Authenticated Document

के विरूद्ध धारा-138 परक्राम्य विलेख अधिनियम का प्रसंज्ञान लिया जाकर दिनांक 15.12.2018 को अपीलार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य परिवादी में स्वयं परिवादी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा इन्द्रगढ़ के शाखा प्रबन्धक आशुतोष के बयान पी.डब्ल्यू.1 के रूप में लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में असल चैक प्रदर्श पी-1, चैक रिटर्न मीमो प्रदर्श पी-2, नोटिस प्रदर्श पी-3, डाक की रसीद प्रदर्श पी-4, पावती रसीद प्रदर्श पी-5 तथा गजट नोटिफिकेशन प्रदर्श पी-6 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. दिनांक 19.01.2024 को अपीलार्थी/अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षण किया गया, जिसमें उसने परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को गलत होना तथा गवाहान का झूठ बोलना बताया तथा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया।

6. तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर आक्षेपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय पारित किया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत अपील मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की गई है:-

(1) विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय कानून एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा पी.एम.वाई.योजना के तहत 2,00,000/-रूपये का ऋण लेना बताते हुए उसकी अदायगी नहीं करने पर तकाजा करने पर एकमुश्त राशि भरकर चैक अदा किये जाने, जो अनादरित हो जाने के तथ्य प्रमाणित नहीं है, क्योंकि ऋण देते समय ऋणी से बैंक खाली चैकों पर हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लेता है,

Authenticated Document

जो चैक सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रखे हुये होते हैं।

(3) विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू.1 द्वारा अपने बयानों में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवाद में वर्णित चैक उसको दिया जाना बताया है, जबकि अपीलार्थी/अभियुक्त ने कोई राशि भरकर चैक नहीं दिया था वरन् बैंक ने ही राशि भरकर उक्त चैक लगाया है। परिवादी बैंक द्वारा ऋण से संबंधित कोई भी दस्तावेज अपने परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा चैक में वर्णित राशि का कोई स्टेटमेंट बैंक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को बैंक की कोई राशि अदा करनी थी।

(4) विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जब किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से ऋण लिया जाता है तो उसको किश्तों में अदायगी का ही प्रावधान है। एकमुश्त राशि वह व्यक्ति कैसे अदा कर सकता है। अपीलार्थी/ अभियुक्त का खाता परिवादी बैंक के यहां ही है। बैंक को अपीलार्थी/अभियुक्त के बचत खाते की सम्पूर्ण जानकारी है फिर वह कैसे चैक जारी कर सकता है। बैंक ने उनके पास रखे हुए चैकों का दुरूपयोग किया है। अन्त में अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.07.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष को ध्यानपूर्वक एवं विस्तारपूर्वक सुना है तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

8. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के ज्ञापन में उठाये गये आधारों को ही दोहराते हुये यह तर्क प्रस्तुत किये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/

Authenticated Document

अभियुक्त द्वारा पी.एम.वाई.योजना के तहत 2,00,000/-रूपये का ऋण लेना बताते हुए उसकी अदायगी नहीं करने पर तकाजा करने पर एकमुश्त राशि भरकर चैक अदा किये जाने, जो अनादरित हो जाने के तथ्य प्रमाणित नहीं है, क्योंकि ऋण देते समय ऋणी से बैंक खाली चैकों पर हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लेता है, जो चैक सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रखे हुये होते हैं, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू.1 द्वारा अपने बयानों में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवाद में वर्णित चैक उसको दिया जाना बताया है, जबकि अपीलार्थी/अभियुक्त ने कोई राशि भरकर चैक नहीं दिया था वरन् बैंक ने ही राशि भरकर उक्त चैक लगाया है, इस तथ्य की ओर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न ही परिवादी बैंक द्वारा ऋण से संबंधित कोई भी दस्तावेज अपने परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये हैं तथा चैक में वर्णित राशि का कोई स्टेटमेंट बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है कि यह सार्वभौमिक सिद्धान्त है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से ऋण लिया जाता है तो उसको किश्तों में अदायगी का ही प्रावधान है किन्तु हस्तगत मामले में एकमुश्त राशि भरकर चैक का दुरूपयोग किया गया है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय विधिक त्रुटि से ग्रस्त होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील स्वीकार की जावे।

9. इसके विपरीत रेस्पोन्डेन्ट/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुये, उपलब्ध साक्ष्य का तार्किक विश्लेषण कर आक्षेपित

दोषसिद्धि का निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। अन्त में अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

10. उभयपक्ष के तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया तथा अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

11. इस न्यायालय की सुविचारित राय में हस्तगत अपील के सही एवं न्यायपूर्ण निर्णय के लिये निम्न बिंदु विचारणीय है:-

''आया विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 01.07.2024 द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त संदीप साहू को परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध करने में कोई तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है?''

12. उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट/ परिवादी द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पी.एम.एम.वाई योजना के तहत दो लाख रूपये का ऋण लिये जाने तथा काफी तकाजा करने के बाद भी ऋण की किश्तें जमा नहीं करवाये जाने पर अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा जारी किये गये प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी-1 को भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थी/अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि होने से उक्त चैक अनादरित हो जाने के आधार पर राशि की वसूली हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत हुई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तृत विवेचना करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा पी.एम.वाई.योजना के तहत 2,00,000/-

Authenticated Document

रूपये का ऋण लेना बताते हुए उसकी अदायगी नहीं करने पर तकाजा करने पर एकमुश्त राशि भरकर चैक अदा किये जाने, जो अनादरित हो जाने के तथ्य प्रमाणित नहीं है, क्योंकि ऋण देते समय ऋणी से बैंक खाली चैकों पर हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लेता है, जो चैक सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रखे हुये होते हैं, तो इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट/परिवादी बैंक से ऋण लिये जाने के तथ्य को प्रश्नगत नहीं किया गया है, इसलिए ऋण लिये जाने का तथ्य स्वीकृत स्वरूप में रहा है, किन्तु जहां तक ऋण की अदायगी के पेटे चैक नहीं दिये जाने एवं सिक्योरिटी के पेटे चैक दिये जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में धारा 118 परक्राम्य विलेख अधिनियम महत्वपूर्ण हो जाती है, जो परक्राम्य विलेख के अनुमान से संबंधित है, जिसके बारे में यह पूर्वानुमान लगाया जायेगा कि जब तक इसके विपरीत साबित न हो जाये तब तक लिखत का धारक उचित समय में धारक माना जावेगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी-1 पर अपीलार्थी/अभियुक्त के हस्ताक्षर होना भी विवादित नहीं रहा है, इसलिए अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा चैक विधितः प्रवर्तनीय ऋण की अदायगी हेतु दिये जाने की धारा 139 परक्राम्य विलेख अधिनियम की जो उपधारणा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ली गई है, उसका कोई खण्डन अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं किया जा सका है, जबकि अपीलार्थी/अभियुक्त के पास उक्त उपधारणा को खण्डित करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध था। अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि हस्तगत मामले में रेस्पोडेण्ट/परिवादी द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी ऐसा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है और न ही अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा चैक का दुरूपयोग मानते

Authenticated Document

हुए अन्य कोई विधिक कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी/अभियुक्त के पास तत्समय यह अवसर उपलब्ध था कि यदि उसके द्वारा विधिक दायित्व के उन्मोचन के पेटे चैक नहीं दिया गया था तो वह उक्त संबंध में सक्षम स्तर पर सम्यक् विधिक कार्यवाही कर सकता था, किन्तु उसके द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा भी अभिलेख के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अपीलार्थी/अभियुक्त के धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध किये गये और उसमें अपीलार्थी/अभियुक्त से यह पूछा गया कि क्या आप साक्ष्य सफाई पेश करना चाहते हैं तो उसके द्वारा उत्तर दिया गया नहीं। क्या आपको कुछ और कहना है तो इस संबंध में अपीलार्थी/अभियुक्त ने कहा कि कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा अपील में उठाये गये तर्कों बाबत् कोई मौखिक अथवा अभिरक्षात्मक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई कि उक्त चैक उसके द्वारा नहीं दिया गया अथवा उक्त चैक पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, जबकि धारा 139 एन.आई.एक्ट की उपधारणा के चलते यह साबित करने का भार अपीलार्थी /अभियुक्त पर चला गया था कि उसने प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी-1 अन्य किसी प्रयोजन के लिये रेस्पोन्डेन्ट/परिवादी को दिया था या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में उक्त चैक रेस्पोन्डेन्ट/परिवादी के पास पहुंच गया था, लेकिन अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से ऐसी किसी भी प्रतिरक्षा को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष साबित नहीं किया गया है। इसलिए अपीलार्थी/अभियुक्त का यह तर्क कि उपरोक्त चैक रेस्पोडेण्ट/परिवादी को नहीं दिया गया हो, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

13. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के इस तर्क का प्रश्न है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू.1 द्वारा अपने बयानों में

Authenticated Document

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवाद में वर्णित चैक उसको दिया जाना बताया है, जबकि अपीलार्थी/अभियुक्त ने कोई राशि भरकर चैक नहीं दिया था वरन् बैंक ने ही राशि भरकर उक्त चैक लगाया है। परिवादी बैंक द्वारा ऋण से संबंधित कोई भी दस्तावेज अपने परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा चैक में वर्णित राशि का कोई स्टेटमेंट बैंक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को बैंक की कोई राशि अदा करनी थी। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि पी.डब्ल्यू-1 आशुतोष, जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा इन्द्रगढ़ का तत्कालीन प्रबंधक था, ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि प्रदर्श पी-1 अपीलार्थी/अभियुक्त संदीप साहू द्वारा लोन बकाया की एवज में दिनांक 18.09.2017 को चैक दिया था, जिस पर ए से बी संदीप साहू के हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने उसी दिन चैक लगाना, जो जरिये प्रदर्श पी-2 बाउंस हो जाने पर प्रदर्श पी-3 नोटिस दिलवाया जाना, जिसकी डाक रसीद प्रदर्श पी-4 एवं रजिस्टर्ड नोटिस अपीलार्थी/अभियुक्त को मिलने की पावती रसीद प्रदर्श पी-5 होना तथा बैंक का गजट नोटिफिकेशन प्रदर्श पी-6 होना, जिसके अनुसार उसे मुकदमा पेश करने, रिकवरी करने एवं बैंक हित में कार्य करने का पूर्ण अधिकार होना प्रकट किया है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि ऋण पूर्व शाखा प्रबंधक ने दिया था। चैक अपीलार्थी/अभियुक्त ने उसे दिया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान इस सुझाव को गलत होना बताया कि चैक पर हस्ताक्षर उसके सामने नहीं हुये हों, बल्कि चैक जिस दिन उसे दिया, उसी दिन बैंक में लगा देना अभिकथित किया है और इस सुझाव को गलत होना कहा कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने किसी तरह का लोन ही नहीं लिया हो। साक्ष्य की इस स्थिति से यह ही प्रकट होता है कि अपीलार्थी/

Authenticated Document

अभियुक्त द्वारा ही हस्ताक्षरयुक्त प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी-1 रेस्पोडेण्ट /परिवादी को विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु दिया गया था, इसके विपरीत अपीलार्थी/अभियुक्त के केवल मौखिक कथन मात्र रहे हैं तथा कोई खण्डनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। यद्यपि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त ने बैंक स्टेटमेंट की फोटोप्रति के सम्बन्ध में बहस की है, किन्तु उक्त दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं करवाये जाने से उक्त दस्तावेज किसी भी दृष्टि से विचार किये जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के इस तर्क में भी कोई सार प्रतीत नहीं होता है।

14. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के इस तर्क का प्रश्न है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जब किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से ऋण लिया जाता है तो उसको किश्तों में अदायगी का ही प्रावधान है, एकमुश्त राशि वह व्यक्ति कैसे अदा कर सकता है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त का खाता परिवादी बैंक के यहां ही है। बैंक को अपीलार्थी/अभियुक्त के बचत खाते की सम्पूर्ण जानकारी है फिर वह कैसे चैक जारी कर सकता है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो उपरोक्तानुसार की गई विवेचना के आधार पर यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा जो प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी-1 दिया गया था, वह ऋण के विधिक दायित्व के उन्मोचन के पेटे दिया था। साक्ष्य से यह भी प्रकट रहा है कि जब अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की गई तो रेस्पोडेण्ट/परिवादी बैंक द्वारा ऋण राशि का तकाजा भी किया गया, किन्तु इसके उपरान्त भी ऋण राशि जमा नहीं कराये जाने पर उसकी अदायगी हेतु जो चैक अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा दिया गया था, उसे अपीलार्थी/अभियुक्त के बैंक खाते से भुगतान प्राप्त

करने हेतु लगाया गया था, जो उसके खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादरित हुआ है, ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि वह लिये गये ऋण की अदायगी केवल किश्तों के माध्यम से करेगा, विशेषतः जबकि उसके द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की जा रही थी, तो ऋण की अदायगी के पेटे दिये गये चैक के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना किसी प्रकार अनुचित नहीं माना जा सकता। जहां तक अपीलार्थी/अभियुक्त को अपने बचत खाते की जानकारी होने तथा उसमें अपर्याप्त निधि रहने का प्रश्न है तो इसके लिए अपीलार्थी/अभियुक्त स्वयं ही उत्तरदायी है तथा इसके लिए किसी भी प्रकार से रेस्पोडेण्ट/परिवादी को दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के इस तर्क में भी कोई सार प्रतीत नहीं होता है।

15. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक 01.07.2024 द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध करने में कोई तथ्यात्मक या कानूनी भूल नहीं की गई है, बल्कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं सुस्थापित कानूनी स्थिति के आधार पर पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त की हस्तगत फौजदारी अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य हो जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दण्डादेश स्थिर रखे जाने योग्य हो जाता है।

आ दे श

16. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त संदीप साहू की ओर से प्रस्तुत की

Authenticated Document

गई हस्तगत आपराधिक अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राजस्थान) द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 312/2017 भारतीय स्टेट बैंक बनाम संदीप साहू अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम में दिनांक 01.07.2024 को पारित किये गये आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश की पुष्टि की जाती है।

17. निर्णय के स्तर पर अपीलार्थी/अभियुक्त आज इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। अतः अपील में सम्पुष्टिकारक सजा का वारण्ट तैयार कर निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अपीलार्थी/अभियुक्त से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि की वसूली एवं सजा भुगताये जाने हेतु विद्वान विचारण न्यायालय अविलम्ब लौटाई जावे।

(संदीप कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

18. निर्णय आज दिनांक 23 अप्रेल, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सेशन न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

Authenticated Document

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.23 18:13:19 IST